न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मदनसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत राजपूत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली		राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शफ़ी पठान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से उप०

–: निर्णय :–

दिनांक : 1/12/17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2010 पदमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम मगरतलाव के खसर नमबर 548 रकबा 1.50 हैक्टेयर पर वादी का पुश्तैनी कब्जा होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वादी की शहादत में नियत होने के बावजूद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादी का वाद खारिज कर दिया। वादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कब्जे को साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन साक्ष्यों को दरकिनार किया जाकर जेर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जो तनकीयात कायम की है, उन तनकी संख्या 1 से 5 का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायसंग नही किया गया है, क्योंकि उन तनकीयात को साबित अथवा असाबित करने से पूर्व दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से दस्तावेज प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है एवं प्रदर्शित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दस्तावेज ही न्यायपूर्ण निर्णय में महत्वपूर्ण होकर पठनीय है। जैर अपील प्रकरण में दस्तावेजी भी मातहत अदालत द्वारा प्रदर्शित न करवाकर तथा अपीलाण्ट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील से कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद जैर अपील आदेश के जरिये वादी/अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी रूप में विधि सम्मत नही है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश हितबद्ध पक्षकार की अनुपस्थिति में नही किया जावे। हस्तगत प्रकरण में वादी की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसे कायम रखा जाना कतई न्यायोचित नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का दावा किया गया। जिसमें अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 17.05.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तग्रत धारा 88, 89, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम मगरतलाव के खसरा नमबर 548 रकबा 1.50 हेक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2014 से पूर्व का कब्जा काश्त होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषित कराने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद में प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पद वार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया कि वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त नही रहा है। चूंकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा वादी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने के कारण वादी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए वादी को बेदखल किया गया है। वादी द्वारा वादस्थ आराजी के चारो तरफ पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने पर उक्त दीवार को तुडवाया जाकर वादी को भौतिक रूप से भी बेदखल किया जा चुका है। मौके पर वादी का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नही है। अतः वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकीयात कायम की गई, जिसमें से 3 तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर था तथा 2 तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। इसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली दिनांक 13.07.2011 से वादी की शहादत में नियत की गई, किन्तु वादी बतौर गवाह जिरह हेतु न्यायालय में समक्ष उपस्थित ही नही हुआ। इस आधार पर जो तनकीयात वादी द्वारा साबित की जानी थी, वे साबित नही हो सकी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी तनकी वादी के पक्ष में साबित नहीं होने से वाद खारिज किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2010 पदमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 1.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली